बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना–800 014

संख्या– व.सं. / 87 / 2020–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
बुडको, सुपौल।

पटना 14, दिनांक–

विषय – सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज परियोजना निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.09 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – कार्यपालक अभियन्ता, नगर विकास प्रमंडल, सुपौल का पत्रांक 96 अनु० दिनांक 13.04.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/45405/2020/4305 दिनांक 19.10.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक FC-951 दिनांक 21.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा किया गया था।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/45405/2020/4305 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक FC-951 दिनांक 21.10.2020 द्वारा शर्त्त संख्या (2) एवं (3) के आलोक में कुल राशि रू० 10,62,745 /– (रूपये दस लाख बासठ हजार सात सौ पैतालीस) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराते हुए कंडिकावार (1–13) अनुपालन की मांग की गयी थी।

3. प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 10,62,745 /– (रूपये दस लाख बासठ हजार सात सौ पैतालीस) मात्र को Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर जमा कराने की सूचना दी गयी है।

4. उक्त राशि में शर्त्त संख्या (2) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 10,06,405 /– (रूपये दस लाख छः हजार चार सौ पाँच) मात्र की राशि भी समाहित था जिसका आकलन तत्कालीन मजदूरी दर रू० 287 /– प्रतिमानव दिवस पर किया गया था।

5. उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं के आलोक में वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 304 /– प्रतिमानव दिवस हो गया है।

6. इस कार्यालय के पत्रांक FC-951 दिनांक 21.10.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 10,06,405 /– (रूपये दस लाख छः हजार चार सौ पाँच) मात्र के मांग पत्र को श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 304 /– प्रतिमानव दिवस पर संशोधित करने पर रू० 10,66,018 /– (रूपये दस लाख छियासठ हजार अठारह) मात्र का आकलन किया गया है।

7. उपर्युक्त के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण मद के अन्तर की राशि (रू० 10,66,018–10,06,405 = 59,613/–) रू० 59,613/– (रूपये उनसठ हजार छः सौ तैरह) मात्र को **मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

8. निर्धारित अवधि में क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि जमा नहीं करने पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/45405/2020/4305 दिनांक 19.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./87/2020–435 दिनांक– 26/5/2021

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

26.5.2021
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।